

11.25 पत्रावली पेश हुई वकील वादी/वादीगण उपस्थित  
नहीं प्रकरण में वकील वादी को साक्ष्य हेतु शपथ  
पत्र पेश करने का अवसर इस निर्देश के साध दिया  
गया था। आगामी पेशी पर साक्ष्य पेश नहीं कि  
गई तो साक्ष्य का अवसर बन्द समझा जावेगा। किन्तु  
इस निर्देश के बाद भी साक्ष्य पेश नहीं करने से वादी  
की साक्ष्य बन्द कि जाती है। प्रकरण में वकील वादी व  
वादीगण को न्यायालय में बार बार अवाजे लगाई  
गई किन्तु सूचना के बावजूद उपस्थित नहीं होने  
से दावा अदम साक्ष्य अदम सबूत / अदम हाजरी  
अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली  
मौखल शुमार होकर नम्बर से कम हो